

सोशल

मीडिया

सेल

जनपद

आजमगढ़

पत्र संख्या:- 12/प्रेसनोट/2021

दिसम्बर - 04 जनवरी 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- जीयनपुर

पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 06.06.2019 को जीयनपुर थाना क्षेत्र के वादी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में अभियुक्तगणों द्वारा वादी की पुत्री उम्र 14 वर्ष को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 120/19 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत करवाया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारन्टी की गिरफ्तारी के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में व प्रभारी निरीक्षक के निर्देशन में आज दिनांक 04.01.2020 को उ0नि0 राजकुमार तिवारी मय हमराह का0 सुमित म0का0 शिवानी सिंह के थाना हाजा से रवाना होकर क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामित/वांछित अभियुक्त आदिल पुत्र स्व0 भुट्टू निवासी खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आदिल को समय करीब 9.50 बजे उसके घर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 120/19 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

आदिल पुत्र स्व0 भुट्टू निवासी खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राज कुमार तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 सुमित थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. म0का0 शिवानी सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़